

न्यायालय जिला कलेक्टर (आर्बिट्रेटर) सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र. (आर्बिट्रेशन) संख्या 31/20
GCMS No- 2020/ 00116

वर्ष 2020

बउनवानी:- 1. प्रहलाद पुत्र गंगाराम जाति मीना निवासी डेकवा तहसील सवाईमाधोपुर
बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक परियोजना कियान्वयन, ईकाई कार्यालय पटेल नगर, अनाज मण्डी रोड़ सवाईमाधोपुर,

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,64 राईटू फेयर कम्पेशन एण्ड ट्रांसपेरेंसी इन लेण्ड एक्यूजेशन जैसापुरा तहसील सवाईमाधोपुर की अवाप्तशुद्धा भूमि खसरा नम्बर 263 रकबा 1.11 है0 मे से 0.44 है0 पर लगे हुए अमरुद्ध, के पेडो का मुआवजा देने बाबत।

उपस्थित:-1. श्री उमाशंकर शर्मा
2. श्री दीपक शर्मा

वकील प्रार्थी
वकील अप्रार्थी 2

-: निर्णय :-

दिनांक:- 19.10.2023

प्रार्थी द्वारा यह अन्तर्गत धारा,64 राईटू फेयर कम्पेशन एण्ड ट्रांसपेरेंसी इन लेण्ड एक्यूजेशन रिहेबिलिटेशन एण्ड दी सेटलमेंट एक्ट,2013 बाबत एन.एच.148 एन. के तहत ग्राम जैसापुरा तहसील सवाईमाधोपुर की अवाप्तशुद्धा भूमि खसरा नम्बर 263 रकबा 1.11 है0 मे से 0.44 है0 पर लगे हुए अमरुद्ध, के पेडो का अवार्ड शंकर लाल पुत्र हीरा के स्थान पर प्रार्थी को दिलवाने बाबत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया साथ ही विपक्षीगणों की भी तलवी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन.के. (दिल्ली-बडौदरा एक्सप्रेस वे के 236 से 304 किमी निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या क.अ. 2306 (अ)दिनांक 6.6.2018 द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को भूमि अवाप्ति अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया था। दिनांक 4.1.2019 को धारा 3 डी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी की गयी जिसके द्वारा प्रार्थी की भूमि ख0न0 263 रकबा 1.11 है0 वाके ग्राम जैसापुरा मे से 0.44 है0 भूमि का भी अधिग्रहण किया गया। उक्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिसमे प्रार्थी के अलावा किसी भी व्यक्ति का कोई संबंध एवं वास्ता नही है उपरोक्त अवाप्त आराजीयात की अवार्ड राशि 6,01,172/-रु का भुगतान प्रार्थी को किया जा गया है किन्तु उक्त आराजी पर प्रार्थी के लगभग 400 अमरुद्ध के पौधे लगे हुए है जिनमे से 140 अमरुद्ध के पौधे अवाप्त हुए है जिनका अवार्ड शंकर लाल पुत्र हीरा मीना के नाम से मुझ प्रार्थी की सहमति से जारी किया जाना बताया गया है किन्तु उक्त संबंध मे मेरे द्वारा किसी प्रकार की सहमति नही दी गयी है ओर ना ही अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब के साथ मेरा सहमति पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है। यह तर्क भी दिया कि उक्त अमरुद्ध के 140 पौधो का अवार्ड प्रार्थी के नाम जारी करवाने बाबत मुझ प्रार्थी द्वारा दिनांक 20.9.2018 आपत्ति अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को दर्ज करा दी गयी है लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी तरह की कोई सुनवायी नही की गयी है। अतः ख0न0 263 पर से अवाप्त 140 पौधो का अवार्ड प्रार्थी को दिलवाये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया।


.....(1).....



(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सवाईमाधोपुर जिले में ए.एच.148एन के कि.मी. 236 से कि.मी.304.4 तक के निर्माण (चौड़ीकरण/ पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचलन के लोक प्रयोजन के लिये भूमि अवाप्ति की कार्यवाही हेतु अवाप्ति अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 की धारा 3 के खण्ड (क) के अन्तर्गत सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.2306(अ) दिनांक 5.6.2018 द्वारा नियुक्त किया गया है तत्पश्चात राजमार्ग के प्रावधान 3(ए) की अधिसूचना दिनांक 21.8.2018 को अधिसूचना जारी की गयी जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र में दिनांक 23.8.2018 को प्रकाशित किया गया। दो समाचार पत्र "दैनिक भास्कर " एवं "राजस्थान पत्रिका" में दिनांक 8.9.2018 को किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 3 ए के नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति की सुनवायी सक्षम अधिकारी कर सकता है। जिसके परिप्रेक्ष्य में जो आपत्तियाँ प्रस्तुत की गयी उनका धारा 3 सी के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारण किया जाता है। उसके पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3डी की उपधारा 1 के अन्तर्गत अवाप्त की जाने वाली भूमि की अधिसूचना जारी करने हेतु रिपोर्ट भेजी गयी जिसके आधार पर दिनांक 4.1.2019 को धारा 3(डी) की अधिसूचना जारी की गयी जिसमें अवाप्त भूमि की किस्म बाराणी-2 निजी सिंचित दर्ज करते हुए स्वामित्वधारी का उल्लेख किया गया। इस अधिसूचना के राजपत्र में दिनांक 7.1.2019 को प्रकाशन पर उक्त अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर आत्यान्तिक रूप से केन्द्र सरकार में निहित हो जावेगी। अधिसूचना जारी कर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर दिनांक 12.6.2019 को अवार्ड पारित कर दिया गया है। उक्त अवार्ड राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा-3ए की अधिसूचना से तीन वर्ष पूर्व में सम्पादित विक्रय विलेखों की संख्या के अधिकतम दर के आधे विक्रय पत्रों की औसत दर एवं प्रत्येक ग्राम की डीएलसी दर का संज्ञान लेते हुए बाजार मूल्य निर्धारित किये गये हैं प्रार्थीगण की अवाप्त भूमि का अवार्ड उनके पक्ष में जारी किया जा चुका है। सर्वे कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम जैसापुरा की भूमि ख0न0 263 रकबा 1.11 है0 में से अवाप्त भूमि 0.44 है0 का अवार्ड हितबद्ध व्यक्ति 6,01,172/-रु प्रार्थी प्रहलाद को दिया गया है तथा अवाप्त भूमि पर लगे हुए 140 अमरूद के पौधों का अवार्ड राशि 36,17,880/-रु एवं टायलेट की अवार्ड राशि 35778/-रु प्रार्थी प्रहलाद पुत्र गंगाराम की सहमति से शंकर पुत्र हीरा मीना को किया गया है इस प्रकार अवाप्त भूमि एवं परिसम्पत्ति का हितबद्ध व्यक्तियों को उनके हिस्सानुसार अवार्ड जारी किया गया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र तथ्यहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने बाबत वकील अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब/बहस में निवेदन किया।


.....(2).....


(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

वकील उभय पक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में ग्राम जैसापुरा के ख0न0 263 रकबा 1.11 है0 मे से 0.44 है0 भूमि एन.एच.148 के निर्माण हेतु अवाप्त हुई है। उक्त ख0न0 मे से अवाप्त भूमि रकबा 0.44 है0 का अवार्ड हितबद्ध व्यक्ति 6,01,172/-रु प्रार्थी प्रहलाद को दिया गया है तथा अवाप्त भूमि पर लगे हुए 140 अमरूद के पौधों का अवार्ड राशि 36,17,880/-रु एवं टायलेट की अवार्ड राशि 35778/-रु प्रार्थी प्रहलाद पुत्र गंगाराम की सहमति से शंकर पुत्र हीरा को दिया जाना अपने जवाब में अंकित किया है। किन्तु पत्रावली पर प्रार्थी प्रहलाद पुत्र गंगाराम द्वारा शंकर पुत्र हीरा को अमरूद के पौधों एवं टायलेट का अवार्ड दिये जाने बाबत कोई सहमति पत्र संलग्न नहीं है। इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस में अंकित तथ्यों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सूबत पेश नहीं किया है जिसके आधार पर शंकर पुत्र हीरा के पक्ष में अमरूद के पौधों का पारित अवार्ड विधिसम्मत माना जा सके। ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा प्रार्थी पारित अवार्ड विधिविरुद्ध होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

उक्त विवेचन के आधार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि ग्राम जैसापुरा के ख0न0 263 रकबा 1.11 है0 मे से अवाप्त भूमि 0.44 है0 पर लगे हुए अमरूद के पौधों एवं टायलेट का अवार्ड का भुगतान शंकर पुत्र हीरा को किये जाने बाबत प्रार्थी प्रहलाद पुत्र गंगाराम का सहमति पत्र रिकार्ड पर लिया जावे यदि प्रार्थी प्रहलाद द्वारा शंकर पुत्र हीरा के पक्ष में अवार्ड दिये जाने की सहमति नहीं दी गयी है तो उक्त परिसम्मति का अवार्ड प्रार्थी खातेदार के पक्ष में ही पारित किया जावे। उक्तानुसार कार्यवाही की जाकर पुनः विधिसम्मत अवार्ड पारित करे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमिल दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.10.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया।


(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाईमाधोपुर